



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04072022-237035
CG-DL-W-04072022-237035

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जून 26—जुलाई 2, 2022, शनिवार/आषाढ 5—आषाढ 11, 1944
No. 26] NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2022, SATURDAY/ASADHA 5—ASADHA 11, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(व्यव विभाग)

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

का.आ. 615.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यालय, जिसमें अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), त्रिपुरा, अगरतला।

[फा. सं. ए-12034/02/2021-ईजी]

एनी जॉर्ज मैथ्यू, विशेष सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 22nd June, 2022

S.O. 615.—In pursuance of sub—rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of the Government of India in the Indian Audit and Accounts Department, in which eighty per cent of the staff have acquired the working knowledge of Hindi, namely :—

1. Office of the Accountant General (A&E), Tripura, Agartala.

[F. No. A-12034/02/2021-EG]

ANNIE GEORGE MATHEW, Spl. Secy.

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 25 जून, 2022

का.आ. 616.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री शारदा कुमार होता के कार्यकाल को दिनांक 26.6.2022 से दो वर्ष की अवधि (अर्थात् 26.6.2024 तक) के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का अनुमोदन करती है।

[फा. सं. 24/3/2022-आईएफ-II]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 25th June, 2022

S.O. 616.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-Section (1) of Section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government has approved the extension of the term of Sh. Sarada Kumar Hota as Managing Director (MD), National Housing Bank for a further period of two years beyond 26.06.2022 (i.e. till 26.06.2024), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 24/3/2022-IF-II]

LALIT KUMAR, Economic Adviser

विदेश मंत्रालय
(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

का.आ. 617.—राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद्वारा, केंद्र सरकार भारत के प्रधान कोंसलावास, दुबई में उमेश यादव, सहायक अनुभाग अधिकारी, को दिनांक 22 जून, 2022 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2022(25)]

एस.आर.एच. फहमी, उप सचिव (कांसुलर)